2019/00218

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेंस लि0 बनाम रामचन्द्र पुष्पाकर वगै

किस्म मुकद्दमा -- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट, बाबत प्रकरण संख्या में सन दुरूस्त किये जाने

प्रकरण संख्या 90 वर्ष **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-08-2019	प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ, प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें । वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि उक्त उनवान के प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6.8.2019 को आदेश पारित करते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है, जिसमें कि प्रकरण संख्या 87 /2018 सहवन से गलत अंकित कर दी गई है तथा उक्त प्रकरण में सन 2018 के स्थान पर 2019 अंकित किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है । हमने मूल पत्रावली का अवलोकन किया, हम वकील प्रार्थी के कथन से सहमत है कि प्रकरण संख्या 87 /2018 सहवन से गलत अंकित हो गई है, जबकि सन 2018 के स्थान पर 2019 अंकित किया जाना चाहिए । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 87 /2018 के स्थान पर 87 /2019 पढ़ा जावें । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को भेजी जावें । प्रार्थना पत्र मूल प्रकरण में संलग्न हो । जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज0) जिला कलेक्टर कोटा	

Scanned by CamScanner